

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), मुकाम-सिरोही(राज.)

प्रार्थी
श्री मुकेश पुत्र केसाजी
जाति कुम्हार नि. गुडा
तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
1.स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा,
राजस्व प्रा.पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 40/2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
24-12-24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री रमेश कुमार माली व स्टेट की ओर से परोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2024/1229 दिनांक 21-11-2024 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार मौजा नवारा के खाता संख्या 96 खसरा संख्या 270 रकबा 1.37 है0 व मौजा गुडा के खाता संख्या 97 खसरा संख्या 216, 217, 219, 220, 221 व 231 कुल रकबा 11.68 है0 में प्रार्थी का नाम मोडाराम पुत्र केसाजी दर्ज है। प्रार्थी द्वारा मुकेश पुत्र केसाजी सही होने वाले दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी पेश किये है।</p> <p>अतः मौजा नवारा के खाता संख्या 96 खसरा संख्या 270 रकबा 1.37 है0 व मौजा गुडा के खाता संख्या 97 खसरा संख्या 216, 217, 219, 220, 221 व 231 कुल रकबा 11.68 है0 में प्रार्थी का नाम मोडाराम पुत्र केसाजी के स्थान पर मुकेश पुत्र केसाजी किया जाना उचित होना बताया है।</p> <p>प्रकरण में वकील प्रार्थी व परोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया।</p> <p>सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है मौजा नवारा के खाता संख्या 96 खसरा संख्या 270 रकबा 1.37 है0 व मौजा गुडा के खाता संख्या 97 खसरा संख्या 216, 217, 219, 220, 221 व 231 कुल रकबा 11.68 है0 में प्रार्थी का नाम मोडाराम पुत्र केसाजी के स्थान पर मुकेश पुत्र केसाजी कर उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावे</p>	

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)